

## प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों हेतु निर्देश

- ऑनलाइन आवेदन के समय लिए गये फॉर्म की प्रिन्ट आउट की एक प्रति आवेदन पत्र के साथ रखें।
- प्रवेश के सत्यापन संबंधी बधाई संदेश व वेरिफिकेशन फॉर्म की दो प्रतियां आवेदन पत्र के साथ रखें।
- 10<sup>th</sup>, 12<sup>th</sup> की मूल मार्कशीट सत्यापन हेतु एवं सत्यापित दो प्रतियां आवेदन पत्र के साथ रखें।
- मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.), मूल चरित्र प्रमाणपत्र (सी.सी.) एवं सत्यापित दो प्रतियां आवेदन पत्र के साथ रखें।
- सी.बी.एस.ई एवं राजस्थान स्टेट ओपन के विद्यार्थी अपने साथ मूल माइग्रेशन एवं सत्यापित दो प्रतियां आवेदन पत्र के साथ रखें।
- आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र (एस.सी./एस.टी. / सहरिया/ओ.बी.सी./एस.बी.सी./ई.डब्ल्यू.एस.) मूल जांच हेतु एवं सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ रखें।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र के अनुसार नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र एक वर्ष हेतु तथा शपथपत्र के साथ तीन वर्ष तक ही मान्य है इसलिए यदि ओ.बी.सी. एवं एस.बी.सी. वर्ग के अभ्यर्थियों के नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक पुराने हैं तो अभ्यर्थियों से ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म पर दिये गये लिंक/वेबसाइट से प्रपत्र—डाउनलोड कर, उसे आवेदन पत्र के साथ रखें।
- बोनस प्रमाण पत्र मूल जांच हेतु एवं सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ रखें।

नोट :- आवेदन पत्र जांच के लगभग दो घण्टे बाद ही विद्यार्थी अपना फीस ई-मित्र पर जमा करवा सकेंगे। सभी प्रमाण पत्र अभ्यर्थी स्वयं सत्यापित करें एवं उपर्युक्त प्रमाण पत्रों की जांच से पूर्व विद्यार्थी मेरिट लिस्ट में अपना नाम एवं वरीयता क्रमांक संख्या के टेगरी वाईज नोट करके लावें।